

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ताएँ

851 श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) भारत, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और विनियामक सामंजस्य से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करते हुए, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की जटिलताओं का सामना करने तथा घरेलू उद्योगों के उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का किस प्रकार लाभ उठा सकता है; और
- (ख) भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के भारत के सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं एवं पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर संभावित निहितार्थ क्या होंगे तथा भारत यह किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है कि इन क्षेत्रों में हमारे हित सुरक्षित रहें?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (भारत-ईयू एफटीए) के लिए वार्ताओं के संपन्न होने की संयुक्त घोषणा की। भारत ने वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने 99% से अधिक पण्य-वस्तु निर्यात के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच सुनिश्चित की, जिससे भारत को यूरोपीय संघ के विशाल बाजार और उससे जुड़ी वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में और अधिक गहराई से एकीकृत होने में मदद मिलेगी। घरेलू उद्योग को यूरोपीय संघ से प्रमुख मध्यवर्ती वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं पर चरणबद्ध टैरिफ में कमी से लाभ होगा, एफडीआई के प्रवाह से 'मेक इन इंडिया' को सहयोग

मिलेगा और यूरोपीय संघ के उच्च-तकनीकी आयात से तकनीकी उन्नयन में मदद मिलेगी, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। संवेदनशील क्षेत्रों को सीमित और चरणबद्ध छूट, सावधानीपूर्वक निर्धारित टैरिफ दर कोटा और बहिष्करणों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा, आयात में अचानक वृद्धि से निपटने के लिए व्यापार उपचारों के रूप में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। सैनिटरी फाइटो-सैनिटरी (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के लिए सहयोग का उद्देश्य विनियमन के अधिकार से समझौता किए बिना गैर-टैरिफ बाधाओं और विनियामक चुनौतियों का समाधान करना है।

(ख) भारत और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत-ईयू एफटीए के तहत, आईटी/आईटीईएस, पेशेवर सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं सहित सेवा उप-क्षेत्रों में ईयू से व्यापक और गहन प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित की गई हैं। ये प्रतिबद्धताएं भारतीय सेवा प्रदाताओं को इन बाजारों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्थिर और व्यवसाय के अनुकूल वातावरण प्राप्त करने में सक्षम करती हैं। यह मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) सहित यूरोपीय संघ के देशों से सेवाओं में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह को भी सुगम बनाएगा। एक व्यापक मोबिलिटी फ्रेमवर्क के माध्यम से, यूरोपीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक सेवा प्रदाताओं को प्रवेश और अस्थायी प्रवास के लिए अधिक निश्चितता प्राप्त होगी, जिससे भारतीय पेशेवरों और ज्ञान-आधारित व्यापार के लिए विस्तारित अवसर सृजित होंगे। सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायक फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ जाने वाले भारतीय श्रमिकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। एफटीए के तहत यूरोपीय संघ को प्रदान की गई प्रतिबद्धताएं संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों का ध्यान रखते हुए, भावी घरेलू उपायों के लिए पर्याप्त नीति-समष्टि रखते हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में पर्याप्त छूट प्रदान करते हुए की गई हैं।
